फाइल नं0-23-10099(099)/185/2021- -10-आई0/119713/2021

संख्या-111/2021/आई/119713/23-10-2021

प्रेषक,

राजेश कुमार अग्रवाल,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 लखनऊः दिनॉक 07 दिसम्बर, 2021

विषयः- भारतीय सड़क कांग्रेस तथा आई0एन0जी0-आई0ए0बी0एस0ई0 को उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग की वार्षिक सदस्यता शुल्क हेतु धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियंता, उ0प्र0,लो0नि0वि0, लखनऊ (बजट 'क' वर्ग) के पत्र संख्या-6262बी0जी0/80बी-4/2021-2022, दिनांक 27.10.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2021-22 में रू0 1.54 लाख बजट व्यवस्था के अनुसार आई0एन0जी0-आई0ए0बी0एस0ई0 को उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग की वार्षिक सदस्यता शुल्क हेतु धनावंटन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में आई0एन0जी0-आई0ए0बी0एस0ई0 को उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग की वार्षिक सदस्यता शुल्क हेतु रू0 01.54 लाख (रू0 एक लाख चौव्वन हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

(1) स्वीकृत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक, डाकघर, डिपाजिट खाते अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत धनराशि जिस मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी मद में किया जायेगा।

(4) यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

2- उक्त कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-58 के अन्तर्गत राजस्व लेखा के लेखाशीर्षक ''3054-सड़क तथा सेतु-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-06-इण्डियन नेशनल ग्रुप ऑफ इण्टरनेशनल एसोसिएशन फॉर ब्रिजेज एण्ड स्ट्रक्चरल इन्जीनियरिंग को सहायता-20-सहायता-अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद'' के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वहन किया जायेगा तथा उक्त कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- -यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-8-2365-दस/2021-2022, दिनांक 02.12.2021 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेश कुमार अग्रवाल)
उप सचिव।

संख्या-111/2021/119713(1)/23-10-2021तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- मुख्य अभियंता (मु0-1), लो0नि0वि0, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ/वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग-8
6- श्रम अनुभाग-2
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार अग्रवाल)
उप सचिव।